नियोजन एजेंसी नियंत्रण से संबंधित मुद्दे

नीता एन.

पिछले कुछ दशकों में चौबीसों घंटे घरों में रहने वाली घरेलू कामगारों के लिए मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। इसका मुख्य कारण है श्रम बाज़ार में औरतों की बढ़ती भागीदारी के साथ-साथ शहरी मध्यम वर्ग का विस्तार। आजकल कम वेतन पर काम करने वाली पलायनकर्त्ता कामगारों को नौकरी पर रखने का भी चलन है। बड़ी संख्या में आदिवासी क्षेत्रों से कुंवारी लड़कियों को घरों में काम के लिए एकजुट किया जा रहा है।

शहरों के माहौल व भाषा से अपरिचित ये अनपढ़, पलायनकर्त्ता लड़कियां बीच-बिचौलियों के रहमोकरम पर आश्रित होती हैं। शहर में आकर उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें वेतन न मिलना, जबरन व बंधुआ मज़दूरी तथा एजेंट, दलालों व मालिकों के हाथों यौन शोषण की संभावना भी शामिल है।

हालांकि नियोजन एजेंसी शब्द का मतलब कामगारों के लिए एक औपचारिक व संगठित नियुक्ति व रोज़गार होता है परन्तु घरेलू कामगारों के संदर्भ में इसके मायने हैं अनेक अनौपचारिक इंतज़ाम। घरेलू कामगार सेवा मुहैय्या कराने वाली एजेंसियां एक समरूपी ईकाई नहीं हैं बल्कि ये एक दूसरे से काम के तरीकों, लक्ष्य, प्रदत्त सेवाओं के लिहाज़ से काफी भिन्न होती हैं। एक ओर औपचारिक एजेंसियां होती हैं जिनकी शर्तें और कार्यान्वयन प्रक्रियाएं निश्चित होती है। इन एजेंसियों का संगठनात्मक ढांचा व चरित्र स्पष्ट तौर पर परिभाषित होता है।

एक "अनौपचारिक" एजेंसी की स्थापना और कार्य विधि को दिशा देने के लिए किसी कानूनी या सामाजिक रूप से मान्य रूपरेखा का होना आवश्यक होता है। ये या तो पंजीकृत होती हैं या फिर किसी व्यापार संगठन (सेवा) स्वयंसेवी संगठनों या गिरजाघर (युवती सेवा सदन) के साथ जुड़ी होती हैं। इन एजेंसियों की भूमिका इनके संगठन के उद्देश्यों व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। मुख्य संगठन के पंजीकरण (व्यापार संगठन या सोसाइटी नियमों के तहत) को इन नियोजन एजेंसियों का पंजीकरण माना जाता है। काम दिलाने के अलावा ये संगठन कामगार

महिलाओं के लिए अन्य सेवाएं जैसे होस्टल, कौशल प्रशिक्षण (शिक्षा, साफ़-सफ़ाई प्रशिक्षण, खाना पकाना, घरेलू उपकरणों का उपयोग आदि) व सामाजिक मेल-जोल के लिए साप्ताहिक गोष्ठियां व क्षेत्रीय त्योहारों का आयोजन जैसी सुविधाएं भी प्रदान करती हैं।

ये एजेंसियां शहर में मौजूद उन पलायनकर्त्ता कामगारों की भी मदद करती हैं जो मालिकों व दलालों के शोषण/धोखाधड़ी का शिकार होती हैं। कुछ मामलों में ये एजेंसियां सरकारी संगठनों के साथ मिलकर भी सहायक भूमिका अदा करती हैं। अपने खास कानूनी/सामाजिक दर्ज़े के कारण ये रोज़गार व्यापार में नियोक्ता व कामगार दोनों को दोहरी भूमिका निभाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घरेलू कामगारों के मुद्दों को उठाने के लिए कोई कानूनी या सरकारी प्राधिकरण की स्थापना नहीं की गई है। ये एजेंसियां अपने साथी संगठनों के साथ मिलकर समन्वय समितियों तथा घरेलू कामगारों के रोज़गार से जुड़ी संस्थाओं के समूहों का भी गठन करती है। इस सामूहिक एकजुटता से इन संगठनों के दर्जे में बढ़ोत्तरी होती है जो इन्हें अन्य व्यापारिक नियोजन एजेंसियों से अलग करता है। इसके अतिरिक्त ये इन्हें मजबूर पलायनकर्त्ता लड़कियों को 'निजी' नियोजन एजेंसियों के शोषण व शिकंजे से आज़ाद करवाने के लिए सशक्तता प्रदान करती है।

दूसरी ओर वे नियोजन एजेंसियां होती हैं जिन्हें सिर्फ़ एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति साथ मिलकर, व्यापारिक हितों के लिए चलाते हैं। ये एजेंसियां घरेलू कामगारों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं करतीं।

कुछ एजेंसियां 'औपचारिक' व 'व्यक्ति' प्रशासित न होकर बीच का रास्ता इख्तियार करती हैं। इनमें से अधिकतर अनौपचारिक मॉडल अपनाती हैं और मालिकों व कामगार दोनों को अलग-अलग तरह की सेवाएं मुहैय्या कराती हैं। ये एजेंसियां अपनी पहचान, काम की जगह व फोन नम्बर बदलती रहती हैं-कारण है इनके काम का बीच में बंद हो जाना या फिर पिछले 'ग्राहकों' (कामगार व मालिक) व 'अधिकारियों' की 'अनचाही' दखलअंदाज़ी।

यद्यपि नियोजन एजेंसियों के काम करने के तरीकों में स्पष्ट रूप से अन्तर दिखाई पड़ता है परन्तु कामगारों की नियुक्ति को लेकर इनमें काफी समानताएं नज़र आती हैं। लगभग सभी एजेंसियां बिचौलियों पर निर्भर करती हैं। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार हर एजेंसी के पास 10-12 बिचौलिये होते हैं जो हर महीने आसपास के गांवों में जाकर, परिवारों को समझा-बुझाकर अपनी लड़कियों को शहर में घरेलू काम करने के लिए राज़ी करते हैं। इन बिचौलियों के अलावा कई एजेंसियां, धार्मिक संगठनों व मौजूदा कामगारों की सहायता से घरेलू काम के लिए कामगार तलाशती हैं।

कुछ नियोजन एजेंसियों के अपने स्थापित दफ़्तर होते हैं परन्तु अधिकांश किसी छोटी सी कॉलोनी में एक कमरा लेकर अपना काम चलाती हैं। इन दफ़्तरों में

- **असम की उषा को दिल्ली की एक एजेंसी के ज़रिये घर के काम काज के लिए रखा गया था। अग्रिम राशि के तौर पर एजेंसी ने उसके पिता को दस हज़ार रुपये दिए और उसे दिल्ली ले आये थे। उसके बाद परिवार को कोई पैसा नहीं भेजा गया। एक पूर्णकालिक कामगार के रूप में 2 साल के लिए उसे बंगलुरू ले जाने की अनुमति दे दी गई। वहां मालिक उसके साथ शारीरिक हिंसा करते थे जिसमें क्रिकेट बैट से पिटाई, लोहा गरम करके दागना व कैंची घोंपना शामिल था। उसे घर से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं थी। उसे अपने घर का पता या फोन नम्बर कुछ भी याद नहीं है। अन्त में उसने स्त्री जागृति समिति से सम्पर्क किया। अब वह उनके आश्रयगृह में रहती है और पढ़ाई कर रही है।**
- **कन्नगि के मालिक उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन उसे अंडा उबालने के लिए कहा गया। उसने वैसा ही किया और हमेशा की तरह खाने की मेज पर रख दिया। यह देखकर मालकिन उसे गाली देने लगी क्योंकि वे वहीं पर पूजा कर रही थीं। इतनी छोटी सी भूल के लिए मालकिन ने उसे थप्पड़ भी मारा। कन्नगि ने तुरंत काम छोड़ दिया, वह अपने आत्मसम्मान पर चोट बर्दात नहीं कर सकती थी।**

केस स्टडी स्रोतः स्त्री जागृति समिति, बंगलुरू

थोड़ा सा फर्नीचर व इनके पंजीकरण की तख्ती होती है। इन एजेंसियों के बीच फ़र्क़ करने वाली एक अन्य बात होती इनके व्यापारिक हित व मुनाफे की मात्रा। इन नियोजन एजेंसियों का मुनाफ़ा लागत से काफी अधिक होता है। एजेंसी चलाने की लागत में दफ़्तर का किराया व बिचौलियों का कमीशन (1000 से 3000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से) मात्र होता है। सभी एजेंसियां मालिकों से एक पंजीकरण फीस लेती हैं जो ग्यारह माह के अनुबंध के लिए 4500 से 10000 रुपयों तक हो सकती है। अपना कमीशन बढ़ाने के लिए एजेंसियां अक्सर घरेलू कामगारों को बिना पूछे एक घर से दूसरे घर काम के लिए भेज देती हैं।

अधिकतर एजेंसियां कामगारों को वेतन संबंधी जानकारी नहीं देती। काम के अनुभव के आधार पर कामगार की तनख्वाह 1000-4000 रुपये माहवार तक हो सकती है। शुरूआत के कुछ महीनों के वेतन को एजेंट आने-जाने का खर्चा, दलाली व अन्य खर्चे में काट लेते हैं। कुछ मामलों में नियोजन एजेंसी मालिकों से वेतन ले लेती हैं। ज़्यादातर एजेंसियां अपने द्वारा नियुक्त कामगारों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेतीं, न ही उन्हें इनकी बीमारी, काम के हालात, मालिकों की गैर मौजूदगी में रहने की सुविधा आदि से कोई मतलब रहता है।

घरेलू कामगार नियोजन एजेंसी की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए अभी कोई कानून नहीं बनाए गए हैं। पलायनकर्त्ता व अनुबंध के तहत काम करने वाले कामगारों को नियंत्रण करने वाले कानून ज़रूर मौजूद हैं। 1979 के *अन्तर्राज्य पलायन श्रमिक कानून (रोज़गार व सेवा प्रतिबंध नियंत्रण व उन्मूलन)* को लागू करने से पलायनकर्त्ता कामगारों की नियुक्ति करने वाली नियोजन एजेंसियों को नियंत्रित किया जा सकता है। पर ये कानून घरेलू कामगारों के मामलों में कार्यान्वित नहीं किए जा सकते।

सभी व्यापारिक व बिजनेस संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि काम शुरू होने के एक माह के भीतर वे *दुकान व प्रतिष्ठान कानून 1954* के तहत पंजीकृत हों। परन्तु ये कानून राज्य अधिकार क्षेत्र में है जिसके कारण हर राज्य में इसके नियम भिन्न हैं। दिल्ली में 1989 से यह कानून अस्थगित रखा गया था और नवम्बर 2009 में यह प्रतिबंध हटाया गया। सभी नियोजन एजेंसियों के लिए इस कानून के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य बनाने से इन एजेंसियों को सभी घरेलू कामगारों व अन्य कामगारों की नियुक्ति करने के लिए एक विस्तारित ब्योरा बनाना पड़ेगा। इस ब्योरे में मालिक का नाम, पता व कामगार का नाम पता, रोज़गार की अवधि, वेतन/भुगतान की प्रक्रिया, काम का ब्योरा व घंटे, अनुबंध की प्रति आदि शामिल किए जाने चाहिए। इसके साथ-साथ मालिकों व घरेलू कामगारों से ली जाने वाली फीस/कमीशन संबंधी दिशानिर्देश भी लिखे जाने चाहिए।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि अच्छी तरह से प्रशासित एजेंसियों के मार्फ्त नियुक्त कामगारों को भी 'संगठित' नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये एजेंसियां मात्र स्वयंसेवी संगठन हैं, ये श्रमिक संगठन नहीं हैं। चूंकि ये एजेंसियां कामगारों की नियुक्ति से भी जुड़ी हैं लिहाज़ा हितों में संघर्ष होना स्वभाविक है। इसलिए यह सुझाव कि नियोजन एजेंसियां सामाजिक सुरक्षा व काम के हालात संबंधी मुद्दों को सम्बोधित करें अवास्तविक व अव्यावहारिक होगा क्योंकि इन एजेंसियों का मुख्य लक्ष्य मुनाफ़ा कमाना होता है।

इस संदर्भ में घरेलू कामगारों के नियोजन व कल्याण से जुड़े मुद्दों को अलग रखना उचित रहेगा। कामगारों के हितों को पूर्णतः सुरक्षित रखने के लिए एजेंसियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के साथ-साथ घरेलू कामगारों के काम के हालात को नियंत्रण करने वाले कानूनों की भी आवश्यकता है। कामगारों के सामाजिक सुरक्षा मुद्दों को भी सम्बोधित किया जाना चाहिए। तभी बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

मूल अंग्रेज़ी लेख का सम्पादित अंश